(b) There is no such proposal with the Rashtriya Barh Ayog at present.

Interim Report by National Flood Commission for tackling Floods

4755. SHRI T. S. NEGI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the National Flood Commission has been asked by Government to submit an interim report suggesting short-term measures for tackling floods; if so, with what result;

(b) whether it is a fact that because of lack of practical experience of Members in flood work, the Commission is finding it difficult to come to any conclusion; and

(c) will Government consider the possibility of strengthening the Commission by appointing experienced engineers as additional Members in order that the Commission makes concrete useful suggestions for controlling floods in the country?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) According to the Resolution constituting the Rashtriya Barh Ayog (National Flood Commission), the Ayog, if it deems fit, could submit interim report (s) on any specific problem(s). In June, 1978 the Rashtriya Barh Ayog was requested to communicate any interim recommendations that might possibly have been formulated. The Ayog replied that they proposed to give their recommendations in their final report.

(b) The full-time Members of the Ayog were selected out of a panel of experts with experience in the concerned fields. In addition, there are several experts with considerable experience and knowledge in this field, who are ex-officio members of the Ayog and paritcipate in its deliberations.

(c) In view of the answer to (b) above, does not arise.

राजस्थान में विभाजल से पूर्व को सम्पत्ति के बंटवारे पर महाप्रबन्धकों के बीज मतभेद

4756. **श्री मीठा लाल पटेल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विभाजन से पूर्व संपत्ति के बंटवारे पर महाप्रबंधक टेलीफोन्स और महाप्रबंधक डाक-तार के बीच भारी मतभेद है;

(ख) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक, डाक-तार विभाग द्वारा गत महीनों में दौसा, जिला जयपुर और, उदयपुर में किए गए सिविल निर्माण महाप्रबंधक टेलीफोन्स द्वारा जबरन तोड़ दिए गए थे, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त पक्के निर्माण कार्यों को तोड़ने से सरकार को होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा इसकी क्षतिपूर्ति किस अधिकारी से की जाएगी; और

(घ) क्या दौसा का मामला न्यायालय में दायर किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साच) : (क) जी नहीं। पोस्टमास्टर जनरल और जनरल मैनेजर टेलीफोन संयुक्त भूमि और भवनों के उपयोग से संबंधित जारी किए गए निदेशों की स्थिति का सही अर्थ ली-भांति समझ नहीं पाए थे।

(ख) जनरल मैनेजर टेलीफोन्स (दूरसंचार) ने किसी सिविल निर्माण को नहीं तुड़वाया था। फिर भी, डाक विग द्वारा किए जा रहे दौसा में साइकिल स्टैन्ड और उदयपुर में मोटर गैरेज का निर्माण कार्य महानिदेशक डाक तार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रोक दिया गया था क्योंकि निर्माण कार्य महानिदेशक, डाक-तार द्वारा जारी किए निदेशों के अनुरूप नहीं था।

(ग) कोई ऐसा पक्का निर्माण कार्य तोड़ा नहीं गया था जिससे विभाग को कोई हानि पहुंची हो।

(घ) जी नहीं ।